

कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

E-mail - ccf.bknr.forest@rajasthan.gov.in & Phone: Office 0151-2200321 कोठी नं.8 केम्पस, बीकानेर-334001(राज.)
क्रमांक : एफ12(309)सर्वे/संमुवसं/2021-22/00359/4742 दिनांक : 27-06-2024
निमित्त

श्रीमान् ~~...~~ प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

विषय :- Diversion of 0.0712 Ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, at Village - Rajaldesar, Tehsil Ratangarh, Distric - Churu, Rajasthan (FP/RJ/ROAD/496382020)

संदर्भ :- उप वन संरक्षक, चूरु का पत्रांक 5021 दिनांक 18.06.2024 के क्रम में।

(Online Proposal No.: FP/RJ/ROAD/496382020)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि Online Proposal No. FP/RJ/ROAD/496382020 में राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्रांक प.1(103)वन/2021 जयपुर दिनांक 07.01.2022 से जारी की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना उप वन संरक्षक, चूरु का पत्रांक 5021 दिनांक 18.06.2024 (प्रति संलग्न) से प्रस्तुत की गयी है, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र. सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण

Signature valid

Digitally signed by Harumana Ram
Designation / Chief Conservator Of
Forest

Date: 2024.06.27 14:20:44 IST

Reason: Approved

	मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री-गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने तथा उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षमिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री-गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने तथा उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षमिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट (मूल प्रति) संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव कार्य हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि 1,61,602/- कैम्पा निधि में दिनांक 04.03.2024 से यूटीआर नं. SBINR52022030470350523 द्वारा कैम्पा राजस्थान में जमा करवाये गये, एवं इस दौरान श्रमिक दरों में वृद्धि होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवश्यक अन्तर धनराशि रूपये 3244/- कैम्पा निधि में दिनांक 25.05.2024 को जमा करवाये गये हैं। अतः वृक्षारोपण कार्य विभाग द्वारा करवाया जाना है। (चालान की प्रति संलग्न)
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 47,714/- रूपये दिनांक 04.03.2024 से यूटीआर नं. SBINR52022030470350523 द्वारा कैम्पा राजस्थान में जमा करवाये गये। (चालान की प्रति संलग्न)

Signature valid

Digitally signed by Harumana Ram
RajKaj Res. Designation: Chief Conservator Of
837950 Forest

Date: 2024.06.27 14:20:44 IST

Reason: Approved

	संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रति संबंधित को उपलब्ध करवा दी गई है।

संलग्न :- मूल पत्रावली 1 मय 12 कॉलम प्रपत्र।

(हनुमाना राम)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर
दिनांक :

क्रमांक : एफ12(329)सर्वे/संमुवसं/2022-23/00293/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- (1) उप वन संरक्षक, चूरू।
- (2) वरिष्ठ प्रबन्धक, (खुदरा बिक्री), जोधपुर मण्डल कार्यालय, इंडियन ऑयल, कॉर्पोरेशन, लिमिटेड, जोधपुर-342008।
{Mail- ioclchurufca@gmail.com}

Signature valid

Digitally signed by Hanumana Ram
Designation: Chief Conservator Of
RajKaj Res Forest
837950
Date: 2024.06.27 14:20:44 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, चूरु

कार्यालय दूरभाष नम्बर 01562-250938
कार्यालय पता : वानिकी पथ, नेचर पार्क, चूरु

ई-मेल पता :-
dcf.churu.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 005/सर्वे/उवसं/2024-25/5024

दिनांक :- 12/07/2024

श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर।

विषय:- Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur -Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu, Raj.(FP/RJ/ROAD/49638/2020).

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलोच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालन
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया गया है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के

उप वन संरक्षक
चूरु

	अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट (सूल प्रति) संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। (संलग्न)
11	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 1.61.602/- (अक्षरे एक लाख इक्कीस हजार छः सौ दो रूपये मात्र) UTR. No. SBINR52022030470350523 के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है एवं इस दौरान श्रमिक दरों में वृद्धि होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि रूपये 3244/- (तीन हजार दो सौ चवालीस रूपये मात्र) Application no: 6149638578 date: 28.05.2024 से कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है। जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध	यूजर एजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि 47714/- (सत्तालीस हजार सात सौ चौदह रूपये मात्र) कैम्पा फंड में जरिये ई-चालान जमा करवाये गये है। विवरण निम्नानुसार है:- UTR. No. SBINR52022030470350523 से

उप वन संचालक

द्वारा

18/11

	वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये हैं जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी. वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

संलग्न :- प्रकरण की तीन प्रतियों में मूल फाईल।

क्रमांक:- सम/5029

प्रतिलिपि श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक

चुरू


दिनांक-18/06/2014

उप वन संरक्षक

चुरू

Deputy Conservator of Forest, Churu (Rajasthan)

Performa For Verification of Deposits in Compensatory Afforestation Fund							
1	Name of Regional Office		MOEF&CC, Regional Office Jaipur (Rajasthan)				
2	State/District/Forest Division to which the proposal Relates		Rajasthan/Churu/Churu				
3	Name of User agency, Nature of proposal		Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur –Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu, Raj. (FP/RJ/ROAD/49638/2020).				
4	Nature of category of proposal		Petrol Pump/Approach				
5	Proposal Number		FP/RJ/ROAD/49638/2020				
6	Extent of Forest area involved		-				
7	Whether original or extension		Original				
8	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so specify		Nil				
9	Date of 1st Stage Clearance		07 JAN 2022 Govt. of Rajasthan, Forest Department Letter P 1 (103) /Forest / 2021 Dated 07.01.2022				
10	Extent of CAMPA Charges, head wise viz		-				
(a)	Compensatory Afforestation		Rs. 1,61,602/-				
(b)	Additional Compensatory Afforestation		Rs. 3,244/-				
(c)	Penal Compensatory Afforestation		-				
(d)	Catchment area Treatment		-				
(e)	Wildlife Management Plan		-				
(f)	Additional Charges for Diversion of area falling under notified/protected areas		-				
(g)	Net Present Value		Rs. 47,714/-				
(h)	Any Other Charges Levies (please specify)		-				
Total			Rs. 2,12,560/-				
11	Whether Payment Through challan or otherwise, in case of Online Payment, details of Challan		Beneficiary Name : Rajasthan Campa IFSC Code : UBIN0903710 Pay to Account No. : 150856149638134 Date : 04.03.2022 IFSC Code : UBIN0996335 Pay to Account No. : 150856149638578 Date : 28.05.2024				
12	Details of deposits						
S.N.	Type of deposit (NPV/CA/W MP/ Other (specify))	Whether by RTGS/DD/ NEFT (Specify)	UTR DD No.	Amount deposited (Rs.)	Date of Deposit	Name of bank from which amount transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	(NPV/CA)	RTGS	UTR.No. SBINR52022030470350523	2,09,316/-	04.03.2024	SBI	RAJASTHAN CAMPA ACCOUNT
2	CA	RTGS	Dated 28.05.2024	3,244/-	25.05.2024	SBI	RAJASTHAN CAMPA ACCOUNT


(Bhawani Singh)
 Deputy Conservator of Forest,
 Churu (Raj.)

क्रमांक

दिनांक : 30.05.2024

निमित्त

उप वन संरक्षक

चूरु (राज0)

विषय : Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

संदर्भ : कार्यालय उप वन संरक्षक, चूरु के पत्र क्रमांक एफ 0 05 सर्वे/उवस/2024-25/4143 दिनांक 15/05/2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृती की पालना की गयी थी परन्तु इस दौरान श्रमिक दरो में वृद्धि होने के कारण क्षतीपूरक वक्षारोपण हेतु अधिरोपित राशि में अन्तर आने के कारण आपके कार्यालय द्वारा अन्तर की राशी अक्षरे 3244/- (तीन हजार दौ सौ चवालीस रुपये मात्र) रुपये जमा करने के लिये निर्देशित किया गया था अतः उक्त की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्तर की धनराशी ऑनलाईन चालान के माध्य से कैम्पा नई दिल्ली में जमा करा दी गई है जमा की गयी राशी का विवरण सलग्न है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में स्वीकृति दिलाने की कृपा करे।



भवदीय

(Ajay Kumar)
Asst. Manager
Indian Oil Corporation Ltd.
Jaipur Divisional Office, Phase-II
LIC Investment Building, Phase-II
Jaipur

(AJAY KUMAR)
Asst. Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Limited (I.O.C.)
First Floor, LIC Investment Building Phase-II
Near Anand Circle, Bikaner Road, Jaipur-302002

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,

चुरु, राजस्थान।

विषय:-Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

संदर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक: एफ ()05/सर्वे/उवसं/2021-22/1011 दिनांक 17-02-2022।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :-FP/RJ/ROAD/49638/2020

क्र.स.	भारत	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के



Sudhanshu Arora / Sudhanshu Arora (Retail Sales)
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जनकालिका कार्यालय / Jaipur Divisional Office
Phase-II
Settlement Building, Phase-II
जयपुर-302005
Ch Road, Jaipur-302005

	अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि 1,61,602/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 04.03.2022 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010- CAMPA	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.


सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora
 मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
 जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
 जयपुर नगर, एल.एन.जी. इन्वैस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-11
 First Floor IIC Investment Building, Phase-11
 आम्बेडकर गार्ड, भिखम अग्र रोड, जयपुर-302005
 Near Ambedkar Gate, Bhikham Agr Road, Jaipur-302005

<p>दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।</p>	<p>06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 47,714/- रुपये दिनांक 04.03.2022 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।</p>
<p>14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।</p>	<p>सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।</p>
<p>15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।</p>	<p>राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।</p>
<p>16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।</p>	<p>भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।</p>

भवदीय


Sudhanshu Arora / Sudhanshu Arora
 Chief Manager (Retail Sales) / Chief Manager (Retail Sales)
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
 Jaipur Divisional Office, First Floor
 LIC Investment Building, Phase-II
 Jaipur
 Near Ambedkar Circle, Baniwar Singh Road, Jaipur-302005

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BG 124706

शपथ-पत्र

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan.(FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.


मैं सुधांशु अरोड़ा शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि-

1. यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अंटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सुधांशु अरोड़ा)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल. एन.आई.सी. इन्वेस्टमेंट्स बिल्डिंग, फेस-II
जमींदार गार्डन रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Shriwar Singh Road, Jaipur-302005

5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गाई लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
11. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।
12. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
13. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय


 (Sudhanshu Arora) Sudhanshu Arora)
 Chief Manager (Retail Sales) Chief Manager (Retail Sales)
 Indian Oil Corporation Limited (वि.प्र.) Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
 Jaipur Divisional Office, First Floor, Jaipur Divisional Office
 LIC Investment Building, Phase-II, LIC Investment Building, Phase-II
 Jaipur, Jaipur
 प्रथम तल, LIC Investment Building, Phase-II
 First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
 अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
 Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय


(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय


(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd. (वि.प्र.)
Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II,
Jaipur
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd. (Retail Sales)
Jaipur Divisional Office, First Floor (वि.प्र.)
LIC Investment Building, Phase-II (M.D.)
Jaipur Divisional Office
जयपुर मण्डल कार्यालय, जयपुर
प्रथम तल एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Sudhanshu Arora)

Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II,
Jaipur
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय



(Sudhanshu Arora)

Chief Manager (Retail Sales)

(सुधांशु अरोरा)
मुख्य प्रायुक्त (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल
Indian Oil Corporation Ltd. (I.O.C.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी.
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय


(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II,
Jaipur
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur – Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय


(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गाई लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(सुधांशु अरड़ा) Sudhanshu Arora
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मंडल, जयपुर, राजस्थान, फेस-II
Jaipur Divisional Office, First Floor,
LLC Investment Building, Phase-II,
Near Ambedkar Circle, Bhanu Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय


(Sudhanshu Arora)
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.
Jaipur Divisional Office, First Floor
LIC Investment Building, Phase-II
Jaipur
First floor, LIC Investment Building, Phase-II
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में यह है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय


(सुधांशु अरोरा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
Jaipur Divisional Office, First Floor,
LIC Investment Building, Phase-II,
Jaipur
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (15) की अनुपालना में यह है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय


(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
जयपुर डिविजनाल ऑफिस, फर्स्ट फ्लोर
LIC Investment Building, Phase-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawan Singh Road, Jaipur-302005

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/49638/2020

दिनांक :-25-10-2023

Project Name: - Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village- Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, District- Churu, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/49638/2020

Applied Area: -0.0712 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-16 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (103) वन/2021 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (16) की अनुपालना में यह है कि अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय



(Sudhanshu Arora)

Chief Manager (Retail Sales)

Indian Oil Corporation Ltd.

Jaipur Divisional Office, First Floor,

LIC Investment Building, Phase-II,

(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)

मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)

Indian Oil Corporation Limited (M.D.)

जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office

प्रथम तल, एल आइ सी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II

First Floor, LIC Investment Building, Phase-II

अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005

Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

FORM-1
(For Linear Projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Churu

No.P.12(2)(104)Rev./2022/ 831-833

Date 03.08.2023

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for Non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where In MoEF Issued certain relaxation in respect linear projects, it is certified that **0.0712 Hectares** of forest land of forest range Ratangarh, District Churu proposed to be diverted in favour of **INDIAN OIL CORPORATION LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Retail Outlet on Jaipur- Bikaner NH-11 BETWEEN KM Stone No. 450-451 (CHAINAGE: 450.394-450.439) LHS IN Khasra No. 486 At Village Rajaldesar, Tehsil Ratangarh, District Churu (Rajasthan)** falls within jurisdiction of Churu.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.0712 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed with annexure A and B.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As Above




Sidharth Sihag
District Collector, Churu

No.P.12(2)(104)Rev./2022/ 831-833

Date 03.08.2023

Copy Forwarded to :

1. DCF Churu as Member for N.A.
2. CEO, Z.P. Churu as Member Secretary for N.A.
3. Applicant Naveen Parakh S/o Navratan Parakh, M/S Parakh Automobiles, NH-11, Rajaldesar, Distt. Churu.


Paras Ram Meena
Chief Executive Officer,
Zila Parisad, Churu



कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु (राजस्थान)

क्रमांक: प012(02)(104)राजस्व/2022/824-830

दिनांक:-03.08.2023

-: एफ.आर.ए. की बैठक कार्यवाही विवरण :-

आज दिनांक 13.03.2023 को प्रातः 11.00 बजे वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 में वर्णित जिला स्तरीय समिति के कर्तव्यों का वर्णन एवं विश्लेषण करने हेतु श्रीमान् सिद्धार्थ सिहाग जिला कलक्टर, चूरु की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया:-

क्र. सं.	प्रकरण का नाम	क्षेत्रफल	संबंधित संस्था
1	IOCL के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा नं. 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने एवं जाने के लिए प्रस्तावित रोड जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र के संबंध में।	0.0712 हैक्टेयर	आवेदक श्री नवीन पारख पुत्र नवरत्न पारख, मैसर्स पारख ऑटोमोबाइल्स, एन. एच.11, राजलदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरु।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहें:-

1. श्रीमती सविता दहीया, उप वन संरक्षक चूरु।
2. श्री परस राम मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरु।

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपस्थित रहें:-

1. श्री मालीराम सारस्वत, ग्राम पायली तहसील रतनगढ़ जिला चूरु।
2. श्री लोकराम मेघवाल, ग्राम बास भरीण्ड पो. बेवड़ तहसील राजगढ़ जिला चूरु।
3. श्रीमती दुर्गा मेघवाल, ग्रा. राजासर चोड़िया, पो. भोजासर छोटा, तह. सरदारशहर जिला चूरु।

बैठक में क्र.सं. 1 पर अंकित IOCL के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा नं. 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने एवं जाने के लिए प्रस्तावित रोड जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/49638/2020 Date 11.09.2020 के लिए वन विभाग की भूमि के खसरा नं. 486 में से 0.0712 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है, पर विचार विमर्श किया गया। उक्त वन भूमि का नगरपालिका मण्डल, राजलदेसर की आम बैठक दिनांक 12.01.2023 के द्वारा सर्वसहमति से अभिशंका की गयी है एवं उपखण्ड स्तरीय कमेटी रतनगढ़ की बैठक दिनांक 18.01.2023 के द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के तहत प्रस्ताव अनुसार इस भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लंबित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है न ही कोई व्यक्ति





कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु (राजस्थान)


विशेष/समुदाय के उक्त अधिनियम प्राप्त नहीं हुआ है, प्रकरण में ग्राम राजलदेसर के खण्ड नं. 486 में रास्ता व आवागमन हेतु वन भूमि 0.0712 हैक्टेयर के डायवर्जन में आपत्ति नहीं है।


उक्त प्रस्ताव में उल्लेखित भूमि में वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अधिकारों से संबंधित कोई दावा लम्बित नहीं होने तथा ऐसे किसी कृषक के हित प्रभावित नहीं होते हैं और ना ही कोई प्रकरण प्रस्तावित है।


चूंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चूरु द्वारा मनोनीत तीनों जिला परिषद सदस्यों को सूचित करने के बावजूद वे मीटिंग में अनुपस्थित रहें। समिति के उपस्थित सदस्यों का मत है कि FRA प्रमाण-पत्र जारी करने में कोई बाधा नहीं है। इस कारण से अध्यक्ष महोदय एवं समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मनोनीत जिला परिषद सदस्यों द्वारा उक्त बैठक की कार्यवाही का (By Circulation) अनुमोदन करवा लिया जाये, यदि उनके द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है तो वन भूमि के डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में आगामी कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्व सहमति से लिया गया।


(सविता देहीया)
उप वन संरक्षक,
चूरु


(परस रास मीणा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, चूरु


(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर, चूरु


(मालीराम सारस्वत)
जिला परिषद सदस्य, चूरु
ग्रा. पायली तह. रतनगढ़


(लोकराम मेघवाल)
जिला परिषद सदस्य, चूरु
ग्रा.बास भरीण्ड, पो. ब्रेवड़ तह. राजगढ़

(दुर्गा मेघवाल)
जिला परिषद सदस्य, चूरु
ग्रा. राजासर चोड़िया पो. भोजासर छोटा
तह. सरदारशहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरु

क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 59

दिनांक 18-1-23

निमित्त

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
चूरु

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने बाबत। आवेदक नवीन पारख पुत्र नवरतन पारख मैसर्स पारख ओटोमोबाईलस एनएच 11 राजलदेसर
प्रसंग :- श्रीमानजी का पत्रांक प.12(02)राजस्व/2022/442-42 दिनांक 26.05.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधन नियम सितम्बर 2012 के नियम 3 व 4 के अनुसार नगरपालिका की आम सभा का अनुमोदन व नियम 5 व 6 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.01.2022 को आयोजित कर कमेटी द्वारा उक्त भूमि का अनुमोदन किया जाकर पत्रावली मूल ही इस पत्र के संलग्न कर नियमानुसार आगामी कार्यवाही हेतु श्रीमान को सादर प्रस्तुत है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रतनगढ (चूरु)

क्रमांक -- राजस्व/2021/58

दिनांक :- 18.01.23

आदेश


परिपत्र क्रमांक प 6 (14)प सु/अनु-3/2008(1) दिनांक 14.3.2008 के अनुसार व अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधन नियम सितम्बर 2021 के नियम 5 व 6 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में दिनांक 18.01.2023 को प्रातः 11.00 बजे सम्पन्न हुई बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण/सदस्यगण उपस्थित हुए।


1. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका राजलदेसर
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी रतनगढ
3. अध्यक्ष नगरपालिका राजलदेसर


बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नांकित विचारार्थ रखा गया।

1. ग्राम राजलदेसर के खसरा नं 486 एनएच-11 सीकर बीकानेर आई.ओ.सी.एल. के पेट्रोल पंप लगाये जाने हेतु हेतु अप्रोच रोड के संबंध में आवेदक नवीन पारख पुत्र नवस्तन गरख मैसर्स पारख ओटोमोबाइल्स एन एच 11 राजदेसर के प्रकरण में रास्ता/आवागमन हेतु वन भूमि 0.0712 हेक्टर के डायवर्जन बाबत प्रकरण बैठक में रखा गया, इस संबंध में वन अधिकारों की मान्यता नियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के तहत नगरपालिका राजलेदसर द्वारा आम बैठक दिनांक 12.01.2023 के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, प्रस्ताव अनुसार इस भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लबित अथवा प्रकियाधीन नहीं है न ही कोई व्यक्ति विशेष/समुदाय के उक्त अधिनियम प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में ग्राम राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरु के खसरा नं. 486 में रास्ता व आवागमन हेतु वन भूमि 0.0712 हेक्टर के डायवर्जन में आपत्ति नहीं है।

अतः कनेटी द्वारा उक्त भूमि का अनुमोदन किया जाता है एवं सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंषा की जाती है।


अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका राजलदेसर


18.01.2023
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रतनगढ


उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ
18.01.2023
अध्यक्ष
नगरपालिका राजलदेसर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, राजलदेसर जिला-चुरु राजस्थान

Email - raj.churu.bika@gmail.com

Phone No - 01567-294504

To क्रमांक 2-11-21/ 2022-23 6796

दि. 12-1-2023

उपखण्ड अधिकारी महोदया

रतनगढ़

विषय- आईओसीएल के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने एवं जाने के लिए प्रस्तावित रोड़ जो कि वन विभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि के लिए वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

प्रसंग- प्रत्राक क्रमांक राजस्व/2022/981 दिनांक- 20/06/2022

महोदया निवेदन है कि आईओसीएल के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा नम्बर 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने जाने के लिए प्रस्तावित रोड़ जो कि वन विभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता है। उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 3 एवं 4 के अनुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है। न ही कोई व्यक्ति विशेष/समुदाय के उक्त अधिनियम/ नियम के अर्न्तगत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने से प्रयोक्ता अभिकरण को अनापति पत्र जारी करने की अभिषंशा की जाती है।

रोड़ का नाम- एन. एच. 11

ग्राम- राजलदेसर


खसरा न.- 486

आवश्यक प्रस्तावित वनभूमि- 0.0712 हैक्टेयर (712 वर्गमीटर)

तहसील-रतनगढ़

जिला-चुरु राजस्थान

संलग्न :- प्रमाण पत्र


अधिषाशी अधिकारी
नगरपालिका राजलदेसर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, राजलदेसर जिला चूरु राजस्थान

Email-raj.churu.bika@gmail.com phone No - 01567-294504

आज दिनांक 12/01/23 को नगरपालिका मण्डल राजलदेसर कि आम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अधिशाषी अधिकारी ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के खसरा 486 पर आईओसीएल द्वारा प्रस्ताविक पेट्रोल पम्प लगाये जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से पम्प पर वाहनो कि आवगमन हेतु 0.0712 हैक्टेयर रक्षित वन भूमि कि आवश्यकता है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्स करने के पष्चात यह निर्णय लिया गया कि वार्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कि अनुसंषा के अनुसार उक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परमपरागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 कि धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधाननुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है। न ही कोई व्यक्ति विषेश /समुदाय के उक्त अधिनियम प्राप्त नहीं होने से प्रयोक्ता अभिकरण को अनपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि अभिषंशा सर्व सहमती से दी जाती है।

रोड का नाम- एन.एच.11

ग्राम- राजलदेसर

खसरा नं.- 486


आवश्यक प्रस्तावित वनभूमि- 0.0712 हैक्टेयर (712 वर्गमीटर)

तहसील- रतनगढ़

जिला- चूरु राजस्थान



अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका राजलदेसर
नगरपालिका राजलदेसर



अध्यक्ष
नगरपालिका राजलदेसर
नगरपालिका मण्डल राजलदेसर



Rajasthan State Pollution Control Board

First Floor, Cooperative Land Development Bank Ltd, Nagour

Phone: 8003076666 Fax: 8003076666

Registered



ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR CONSENT UNDER THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 FOR SMALL SCALE / TINY INDUSTRIES UNDER GREEN CATEGORY UPTO AN INVESTMENT OF RS. 5.00 CRORES.

File No : F(Tech)/Churu(Ratangarh)/1766(1)/2021-2022/631-632

Order No : 2021-2022/Nagour/8343

From :

Date : 8/12/2021

EE

Rajasthan State Pollution Control Board,
First Floor, Cooperative Land Development Bank Ltd, Nagour

To,

M/s PARAKH AUTOMOBILES (UnitID:113982)

KHASRA NO. 486, KMS-448-452, SERVO OIL DEPOT, NH-11 , RAJALDESAR Tehsil:Ratangarh

District:Churu

I / We hereby acknowledge the receipt, in this office, on 23/08/2021 of your application dated **23/08/2021** for **Consent to Establish** for (project / process / activity name) **PARAKH AUTOMOBILES** under **section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981** having capital cost of the project Rs. **42.45 Lacs** duly filled in and accompanied by prescribed fee Rs. **3,000.00** and requisite documents.

This acknowledgement of the consent application shall be treated as **Consent to Establish**, of the State Board, under **section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981** ,to **Consent to Establish** your industry at **KHASRA NO 486, KMS-448-452, SERVO OIL DEPOT, NH-11 RAJALDESAR Tehsil:Ratangarh District:Churu** and there would be no need for the industry to obtain periodical renewal of consent, till such time the unit modifies / changes its processes provided that -

- 1.The acknowledgement shall be subject to the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 2.This acknowledgement will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
- 3.The acknowledgement is from the point of view of control of pollution, and does not absolve the unit from making compliance of the other statutory obligations, prescribed under any other law or instrument, for the time being in force and the directions passed by the Hon'ble Courts.
- 4.The State Board shall have the right to conduct random checks or call information from the unit and make a formal consent order prescribing conditions etc., as required.
- 5.The Industry falls under **Green Category - Automobile fuel outlet (only dispensing) having adequate arrangements for vapor collection during dispensing** as per Head Office Order No. F.14(23) Policy/RPCB/Plg./153-189 dated 02/06/2020.

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar
Agarwal
Date: 2021.12.08 18:26:52 IST
Reason: SelfAttested
Location:



Specific Condition :

- 1 That this acknowledgement is being issued for the Automobile fuel outlet (only dispensing) of PETROL (MS) 1500 Ltr./Day, Diesel (HSD) 3000 Ltr./Day & Lubricant Oil 150 Ltr./DAY Sought by SHRI NAVEEN PARAKH at Khasra no. 486, NH-11 , Village - RAJALDESAR, Tehsil – RATANGARH, District - CHURU, which is dully converted for petrol pump use by Nagar Palika Mandal, Rajaldesar, Churu vide dated 06.01.2015.
- 2 The total capital investment in the project without depreciation shall not exceed 42.45 lacs.
- 3 That ground water shall not be abstracted without prior approval of Central Ground Water Authority. Besides no trade effluent shall be generated from the facility.
- 4 That this acknowledgement is being issued on the basis of documents/ information uploaded by the applicant/industry/process/project. The liability of veracity and correctness of the uploaded document/information shall solely be of the applicant only.
- 5 In case, any direction for closure has been issued by the State Board for the same premises and has not been withdrawn, then this acknowledgment shall not be considered as consent, in any case and shall be treated null & void.
- 6 That this acknowledgement of consent application shall cease to be valid in case of any change in product/process/operation/raw material/capacity/area or in information/document submitted /uploaded at the time of seeking consent.
- 7 That submission of any incorrect or partial information/false documents or concealment or misrepresentation of material facts shall make the applicant/industry/process/project liable for legal action, jointly as well as severally, under the provisions of the Indian Penal Code'1860, Information Technology Act'2000, & Air (Prevention & Control of Pollution) Act'1981, which may include imprisonment and/or penalty as per the provisions of the statutes.
- 8 That unit shall comply with all the provisions and conditions as mentioned by guidelines issued by Central Pollution Control Board O.M. dated 07.01.2020 and addendum dated 16.08.2021. (Copy enclosed).
- 9 That the total sludge and other hazardous waste shall be disposed as per Rule no. 08 of Hazardous Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rules 2016 and amendments.
- 10 That the unit/ petrol pump shall obtain the authorization for hazardous waste under Hazardous Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rules 2016 and further amendments.
- 11 The unit shall comply with the provisions of Public Liability Insurance Act, 1991 and any further amendments, if applicable.
- 12 The unit shall comply with the provisions of "Manufacture, Storage, and Import of. Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989" under the Environment. (Protection) Act, 1986 and any further amendments, if applicable.
- 13 The filling station shall get permission for establishment of fuel station from competent authorities such as District Administration, LSG, PESO etc.
- 14 This acknowledgment is not evidence for ascertaining entitlement of land.
- 15 This acknowledgement shall be subjected to compliance of any direction or order passed by court of law in matter.
- 16 That the grant of this acknowledgement is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar
Agarwal
Date: 2021.12.08 18:26:52 IST
Reason: SelfAttested
Location:



This acknowledgement is in accordance with the directions issued by the Central Pollution Control Board vide letter no. B - 29014/1/90/PCI - I/17793 dated 21-10-1992.

Copy To :

EE

1 Master File.

EE

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar
Agarwal
Date: 2021.12.08 18:26:52 IST
Reason: SelfAttested
Location:



AGENCY COPY**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 02-03-2022

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	6149638134
State Code.	RJ
Address.	Jaipur Divisional office, Firest Floor, LIC Investment Building, Phase II Jaipur
Amount(in Rs)	209316/-

Amount in Words :Two Lakh Nine Thousand Three Hundred and Sixteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
Pay to Account No.	CAMPARJ6149638134
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 02-03-2022

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	6149638134
State Code.	RJ
Address:	Jaipur Divisional office, Firest Floor, LIC Investment Building, Phase II Jaipur
Amount(in Rs)	209316/-

Amount in Words :Two Lakh Nine Thousand Three Hundred and Sixteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
Pay to Account No.	CAMPARJ6149638134
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: ubicampa@unionbankofindia.com

AGENCY COPY**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 25-05-2024

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	6149638578
State Code.	RJ
Address.	Jaipur Divisional office, Firest Floor, LIC Investment Building, Phase II Jaipur
Amount(in Rs)	3244/-

Amount in Words :Three Thousand Two Hundred and Forty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
Pay to Account No.	CAMPARJ6149638578
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 25-05-2024

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	6149638578
State Code.	RJ
Address:	Jaipur Divisional office, Firest Floor, LIC Investment Building, Phase II Jaipur
Amount(in Rs)	3244/-

Amount in Words :Three Thousand Two Hundred and Forty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
Pay to Account No.	CAMPARJ6149638578
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only


After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: ubicampa@unionbankofindia.com

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	<p>FP/RJ/ROAD/49638/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/49638/2020)</p> <p>Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu, Raj</p>	ROAD496382020578	6149638578	07 Jan 2022	<p>CA: 3244/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 0/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3244/-</p>	<p>✓ Paid</p>	<p>Fund Demand Verified by :24 May 2024 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :25 May 2024 Transaction Date :28 May 2024</p>	<p>Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/170520241849257262_FPRJROAD496382020_User_Fund_Demanded_65723.p)</p> <p>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD496382020578)</p>
2	<p>FP/RJ/ROAD/49638/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/49638/2020)</p> <p>Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu, Raj</p>	ROAD496382020134	6149638134	07 Jan 2022	<p>CA: 161602/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 47714/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 209316/-</p>	<p>✓ Paid</p>	<p>Fund Demand Verified by :23 Feb 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :02 Mar 2022 Transaction Date :04 Mar 2022</p>	<p>Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/210220221403086642_FPRJROAD496382020_User_Fund_Demanded_30490.p)</p> <p>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD496382020134)</p>



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

प्लॉट स्थान

ही संपन्न गेम्स में हासिल हुए रजत और तियोगिता सदस्यीय था। पिछले ही पेशंट्स के बैनर इलाड़ी इस ते है।

घोषित

गाम जूसरी, ला डीडवाना 0वीं सीनियर गिता में भाग : पुरुष : अभय सिंह अय्य कौशिक, मुति, यशस्वी, गुप्ता, भूमिका भत ओडवाल, दव, खुशवंत ावर्धन सिंह । दिव्या शर्मा,

ब



कार्यक्रम के को विजेता द पुरस्कार प्रदान किया इमिंटन संघ ने राजस्थान नयपुर जिला कोषाध्यक्ष संघ के हेड ने सभी का

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (103) वन/2021
प्रधान मुख्य वन सहायक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक- 07 Jan 22

विषय- Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486. At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu Rajasthan (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

संदर्भ :-आपका पत्रांक एक 14 (435/38) 2020/एफसीए/प्रमुख/3237 दिनांक - 18.11.2021

महोदय
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में स्टोन नम्बर 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS के खसरा नम्बर 486 ग्राम राजलदेसर, तहसील रतनगढ़ जिला चूरु में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं विकास हेतु 0.0712 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोटल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति वाकत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion. of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village Rajaldesar, Tehsil Ratangarh, District - Churu, Rajasthan को सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित विध्वन शर्तों के अध्वधीन प्रदान कारती है-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- वाचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग को बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ को लिए किसी भी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जायेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं विकास मार्ग के दोनों ओर रिलमडे स्थानों पर टी गाई लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। (तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।)
- प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करावेगा। (तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।)
- प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMP दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार मुद्द वनमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त मुद्दों के अनुसार मुद्द वनमान मूल्य तथा दूसरी मधी विधियां प्रतिपूर्ति पोषारोपण निधि प्रबंध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का पट्टा विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि संक्षम स्तर से यदि एन.पी.बी. की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्त अधिकरण द्वारा विधमानुसार जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुधति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कर्पालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय प्रीन डिब्युनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायेत धा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एबेंसो हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक सप्ताह पत्र में अक्षरज्ञः प्रकाशित करायें एवं जारी स्वीकृति की प्रतिस्वीकृतानीय निकाय, धंधाघत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(श्री. प्रवीण) शासन सचिव

हिटी टी लिए औ ओपन।
ई-टैडर
कार्य क सीओर। टूटल क
अनुमानि निविदा
15:00 H 90 दिन, 15:00 व जाणी।
एक्ट 20 फाइनिस जायेगे र वह इमन वे टैकटा लिए भा
North
निविदा
भारत के निम्नलि समय 15
क्र. सं. 1
कार्य व के अत ओडव 1392, (1340) बिज. बो ली करने 02.01.
नोट: www.। तक उ स्वीकार IT Act वेबसाइ जमा व FA & C उल्लेख अनुसन् दरें को विलीय जायेगा अधिक 5. रल हेतु नि प्रपत्र में निरस्त के दारे टेण्डरर किया। चाहिये निर्धारि ही उन फिसी। परफार एजेसी सरकार सम्बन्धि प्रकार सम्पर्क तक स
North

Officers of them assaulted and seizure gesheet

accused charges the three.

resident Banswara name is ord of my LD Vinod is wrong, Choubey. ed correct.

3/2024 all of our No. 1 Raji Tower, oor, Opp. u Dt., Pin 694815 / shifted to p. 1 New 01, H-12, Roadways Nagar, 33 001. Ph 91675) for nvenience. / note the uested to he above nly for all ons and e said date.

38343549

ANCE LTD. 006623, anappuram House, 7, Kerala, India

Complex,

00059 11001

d under the 2002 and in enforcement) tioned in the

general that conferred on ad dates. The any dealings

nd int	Name of Branch
	Bhilwara-B
3	Bhilwara-B

amount, else Notice, as per

Authorized Officer pany Limited

assigning any reasons whatsoever. CIRCULAR No. 18.11.2021 Date of advertisement: 08-12-2023

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (103) वन/2021 जयपुर, दिनांक- 07 Jan 22
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

विषय- Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486. At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu Rajasthan (FP/RJ/ROAD/49638/2020)

संदर्भ :-आपका पत्रांक एफ 14 (435/38) 2020/एफसीए/प्रमुख/3237 दिनांक- 18.11.2021

महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में स्टोन नम्बर 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS के खसरा नम्बर 486 पर राजलदेसर, तहसील रतनगड जिला चूरु में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.0712 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.0712 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village Rajaldesar, Tehsil Ratangarh, District - Churu, Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अन्वये प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या धरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर टीगाई लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के सीन (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMP दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बची हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोक्ता संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदीय, (श्री. प्रवीण) शासन सचिव

pay through link available for vide public auction. For balance payment, Home Finance Ltd. b) SCBL0036001, e) Bank

- For participating in advance and has to ment details towards
- The bidders shall im lites of the closing li
- The successful bidder of the bid amount with and all other incident
- The purchaser has to
- Bidders are advised terms and conditions
- For details, help i auction.hi@iifl.com,
- For any query relat to 18:00 hrs betwe
- Notice is hereby give session within 7 days
- Further the notice is l
- In case of default in t the amount already p
- AO reserves the righ pte in tender/Auctio

The Borrower are herel Tender/Auction, failing w Place:-Alwar, Date: 08-

Advertisem section 374 Register) R

1. Notice is l Companies Bhawan, 2 Falcon Hol Companies:

2. The princ

✓ To act a co-ordinat wherever i the Comp: controlled

✓ To inve subsidiary registered which the

✓ To prov oriented c its funds.

3. A copy may be ir Khurda, C

4. Notice their obje No. 9 (P) publicati

Dated th

कार्यालय उप वनसंरक्षक, चूरु:

ई-मेल पता :-

कार्यालय दूरभाषनम्बर 01562-250938

कार्यालय पता : वानिकीपथ, नेचरपार्क, चूरु def.churu.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- एफ ()सर्वे/उवसं/2024/ 5586

दिनांक:-10-07-2024

निमित्त

श्रीमान उप वन संरक्षक(एफ.सी.ए.),

अरण्य भवन, राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय: Diversion of 0.0712 ha. Forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation. Retail Outlet on Jaipur Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486 At village Rajaldesar, Tehsil- Ratangarh, Dist. Churu,Raj. (Proposal No. FP/RJ/Road/49638/2020)

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 1843 दिनांक 10.07.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला स्तरीय समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति एवं ग्राम स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित है।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

क्रमांक:-सम 5587

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।

(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक

चूरु

दिनांक:-10-07-2024

उप वन संरक्षक

चूरु



FORM-1
(For Linear Projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Churu

No.P.12(2)(104)Rev./2022/ 831-833

Date 03.08.2023


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for Non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where In MoEF Issued certain relaxation in respect linear projects, it is certified that **0.0712 Hectares** of forest land of forest range Ratangarh, District Churu proposed to be diverted in favour of **INDIAN OIL CORPORATION LIMITED for Construction of Approach Road for Proposed INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Retail Outlet on Jaipur- Bikaner NH-11 BETWEEN KM Stone No. 450-451 (CHAINAGE: 450.394-450.439) LHS IN Khasra No. 486 At Village Rajaldesar, Tehsil Ratangarh, District Churu (Rajasthan)** falls within jurisdiction of Churu.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.0712 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed with annexure A and B.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As Above




Sidharth Sihag
District Collector, Churu

No.P.12(2)(104)Rev./2022/ 831-833

Date 03.08.2023

Copy Forwarded to :

1. DCF Churu as Member for N.A.
2. CEO, Z.P. Churu as Member Secretary for N.A.
3. Applicant Naveen Parakh S/o Navratan Parakh, M/S Parakh Automobiles, NH-11, Rajaldesar, Distt. Churu.



Paras Ram Meena
Chief Executive Officer,
Zila Parisad, Churu



कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु (राजस्थान)

क्रमांक: प012(02)(104)राजस्व/2022/824-830

दिनांक:-03.082023

-: एफ.आर.ए. की बैठक कार्यवाही विवरण :-

आज दिनांक 13.03.2023 को प्रातः 11.00 बजे वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 में वर्णित जिला स्तरीय समिति के कर्तव्यों का वर्णन एवं विश्लेषण करने हेतु श्रीमान् सिद्धार्थ सिहाग जिला कलक्टर, चूरु की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया:-

क्र. सं.	प्रकरण का नाम	क्षेत्रफल	संबंधित संस्था
1	IOCL के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा नं. 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने एवं जाने के लिए प्रस्तावित रोड जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र के संबंध में।	0.0712 हैक्टेयर	आवेदक श्री नवीन पारख पुत्र नवरत्न पारख, मैसर्स पारख ऑटोमोबाइल्स, एन. एच.11, राजलदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरु।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहें:-

1. श्रीमती सविता दहीया, उप वन संरक्षक चूरु।
2. श्री परस राम मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरु।

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपस्थित रहें:-

1. श्री मालीराम सारस्वत, ग्राम पायली तहसील रतनगढ़ जिला चूरु।
2. श्री लोकराम मेघवाल, ग्राम बास भरीण्ड पो. बेवड़ तहसील राजगढ़ जिला चूरु।
3. श्रीमती दुर्गा मेघवाल, ग्रा. राजासर चोड़िया, पो. भोजासर छोटा, तह. सरदारशहर जिला चूरु।

बैठक में क्र.सं. 1 पर अंकित IOCL के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा नं. 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने एवं जाने के लिए प्रस्तावित रोड जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/49638/2020 Date 11.09.2020 के लिए वन विभाग की भूमि के खसरा नं. 486 में से 0.0712 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है, पर विचार विमर्श किया गया। उक्त वन भूमि का नगरपालिका मण्डल, राजलदेसर की आम बैठक दिनांक 12.01.2023 के द्वारा सर्वसहमति से अभिशंका की गयी है एवं उपखण्ड स्तरीय कमेटी रतनगढ़ की बैठक दिनांक 18.01.2023 के द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के तहत प्रस्ताव अनुसार इस भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लंबित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है न ही कोई व्यक्ति





कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु (राजस्थान)


विशेष/समुदाय के उक्त अधिनियम प्राप्त नहीं हुआ है, प्रकरण में ग्राम राजलदेसर के खण्ड नं. 486 में रास्ता व आवागमन हेतु वन भूमि 0.0712 हैक्टेयर के डायवर्जन में आपत्ति नहीं है।


उक्त प्रस्ताव में उल्लेखित भूमि में वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अधिकारों से संबंधित कोई दावा लम्बित नहीं होने तथा ऐसे किसी कृषक के हित प्रभावित नहीं होते हैं और ना ही कोई प्रकरण प्रस्तावित है।


चूंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चूरु द्वारा मनोनीत तीनों जिला परिषद सदस्यों को सूचित करने के बावजूद वे मीटिंग में अनुपस्थित रहें। समिति के उपस्थित सदस्यों का मत है कि FRA प्रमाण-पत्र जारी करने में कोई बाधा नहीं है। इस कारण से अध्यक्ष महोदय एवं समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मनोनीत जिला परिषद सदस्यों द्वारा उक्त बैठक की कार्यवाही का (By Circulation) अनुमोदन करवा लिया जाये, यदि उनके द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है तो वन भूमि के डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में आगामी कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्व सहमति से लिया गया।


(सवित्री दहीया)
उप वन संरक्षक,
चूरु


(परस रास मीणा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, चूरु


(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर, चूरु


(मालीराम सारस्वत)
जिला परिषद सदस्य, चूरु
ग्रा. पायली तह. रतनगढ़


(लोकराम मेघवाल)
जिला परिषद सदस्य, चूरु
ग्रा.बास भरीण्ड, पो. ब्रेवड़ तह. राजगढ़

(दुर्गा मेघवाल)
जिला परिषद सदस्य, चूरु
ग्रा. राजासर चोड़िया पो. भोजासर छोटा
तह. सरदारशहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरु

क्रमांक: राजस्व / 2021 / 59

दिनांक 18-1-22

निमित्त

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
चूरु

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने बाबत। आवेदक नवीन पारख पुत्र नवरतन पारख मैसर्स पारख ओटोमोबाईलस एनएच 11 राजलदेसर
प्रसंग :- श्रीमानजी का पत्रांक प.12(02)राजस्व/2022/442-42 दिनांक 26.05.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधन नियम सितम्बर 2012 के नियम 3 व 4 के अनुसार नगरपालिका की आम सभा का अनुमोदन व नियम 5 व 6 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.01.2022 को आयोजित कर कमेटी द्वारा उक्त भूमि का अनुमोदन किया जाकर पत्रावली मूल ही इस पत्र के संलग्न कर नियमानुसार आगामी कार्यवाही हेतु श्रीमान को सादर प्रस्तुत है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, राजलदेसर जिला-चुरु राजस्थान

Email - raj.churu.bika@gmail.com

Phone No - 01567-294504

To क्रमांक राजस्व-21/2022-23 6796

दिनांक 12-1-2023

उपखण्ड अधिकारी महोदया

रतनगढ़

विषय- आईओसीएल के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने एवं जाने के लिए प्रस्तावित रोड़ जो कि वन विभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि के लिए वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

प्रसंग- प्रत्राक क्रमांक राजस्व/2022/981 दिनांक- 20/06/2022

महोदया निवेदन है कि आईओसीएल के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम राजलदेसर के खसरा नम्बर 486 में रिटेल आउटलेट के लिए आने जाने के लिए प्रस्तावित रोड़ जो कि वन विभाग की भूमि से गुजर रही उपयोग में आने वाली 0.0712 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता है। उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 3 एवं 4 के अनुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है। न ही कोई व्यक्ति विशेष/समुदाय के उक्त अधिनियम/ नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने से प्रयोक्ता अभिकरण को अनापति पत्र जारी करने की अभिषंशा की जाती है।

रोड़ का नाम- एन. एच. 11

ग्राम- राजलदेसर


खसरा न.- 486

आवश्यक प्रस्तावित वनभूमि- 0.0712 हैक्टेयर (712 वर्गमीटर)

तहसील-रतनगढ़

जिला-चुरु राजस्थान

संलग्न :- प्रमाण पत्र


अधिषाशी अधिकारी
नगरपालिका राजलदेसर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, राजलदेसर जिला चूरु राजस्थान

Email-raj.churu.bika@gmail.com phone No - 01567-294504

आज दिनांक 12/01/23 को नगरपालिका मण्डल राजलदेसर कि आम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अधिशाषी अधिकारी ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के खसरा 486 पर आईओसीएल द्वारा प्रस्ताविक पेट्रोल पम्प लगाये जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से पम्प पर वाहनो कि आवगमन हेतु 0.0712 हैक्टेयर रक्षित वन भूमि कि आवश्यकता है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्स करने के पष्चात यह निर्णय लिया गया कि वार्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कि अनुसंषा के अनुसार उक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परमपरागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 कि धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधाननुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है। न ही कोई व्यक्ति विशेष /समुदाय के उक्त अधिनियम प्राप्त नहीं होने से प्रयोक्ता अभिकरण को अनपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि अभिषंशा सर्व सहमती से दी जाती है।

रोड का नाम- एन.एच.11


ग्राम- राजलदेसर


खसरा नं.- 486

आवष्यक प्रस्तावित वनभूमि- 0.0712 हैक्टेयर (712 वर्गमीटर)

तहसील- रतनगढ़

जिला- चूरु राजस्थान


अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका राजलदेसर
नगरपालिका राजलदेसर


अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका राजलदेसर
नगरपालिका मण्डल राजलदेसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रतनगढ (चूरु)

कमाक -- राजस्व/2021/59

दिनांक :- 18.01.23

आदेश


परिपत्र कमाक प 6 (14)प सु/अनु-3/2008(1) दिनांक 14.3.2008 के अनुसार व अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधन नियम सितम्बर 2021 के नियम 5 व 6 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में दिनांक 18.01.2023 को प्रातः 11:00 बजे सम्पन्न हुई बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण/सदस्यगण उपस्थित हुए।


1. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका राजलदेसर
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी रतनगढ
3. अध्यक्ष नगरपालिका राजलदेसर


बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नांकित विचारार्थ रखा गया।

1. ग्राम राजलदेसर के खसरा नं 486 एनएच-11 सीकर बीकानेर आई.ओ.सी.एल. के पेट्रोल पंप लगाये जाने हेतु हेतु अप्रोच रोड के संबंध में आवेदक नवीन पारख पुत्र नवस्तन पारख मैसर्स पारख ओटोमोबाइल्स एन एच 11 राजदेसर के प्रकरण में रास्ता/आवागमन हेतु वन भूमि 0.0712 हेक्टर के डायवर्जन बाबत प्रकरण बैठक में रखा गया, इस संबंध में वन अधिकारों की मान्यता नियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के तहत नगरपालिका राजलेदसर द्वारा आम बैठक दिनांक 12.01.2023 के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, प्रस्ताव अनुसार इस भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लबित अथवा प्रकियाधीन नहीं है न ही कोई व्यक्ति विशेष/समुदाय के उक्त अधिनियम प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में ग्राम राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरु के खसरा नं. 486 में रास्ता व आवागमन हेतु वन भूमि 0.0712 हेक्टर के डायवर्जन में आपत्ति नहीं है।

अतः कनेटी द्वारा उक्त भूमि का अनुमोदन किया जाता है एवं सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशांषा की जाती है।


अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका राजलदेसर


18.01.2023
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रतनगढ


उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ
अध्यक्ष
नगरपालिका राजलदेसर